शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई–पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक–24 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 12–19 जून 2023 मूल्य पांच रूपए

हिमाचल में कांग्रेस को लोस की एक सीट नहीं पार्टी के सर्वे में खुलासा

- ➢ कौल सिंह को दिल्ली बुलाया
- ➢ हाईकमान हुआ चिन्तित–सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर असफल
- ➢ सुक्खू भी अपना पक्ष रखने को तलब
- ➢ व्यवस्था परिवर्तन का सूत्र पड़ा भारी

शिमला/शैल। आज यदि लोकसभा के चुनाव हो जायें तो कांग्रेस को इस समय एक सौ दस सीटों पर जीत हासिल हो रही है यह आकलन सामने आया है पार्टी के अपने सर्वे में। लेकिन इन 110 सीटों में हिमाचल का योगदान शून्य है। अभी हिमाचल में सुक्खू सरकार को सत्ता में आये छः माह का ही समय हुआ है। जो सरकार इतने अल्पकाल में ही इतनी अलोकप्रिय हो जाये कि उसे सर्वे में एक भी सीट न मिल रही हो तो यह किसी भी हाईकमान के लिये गंभीर चिन्ता का विषय होना स्वभाविक है। सर्वे के इस खुलासे का कड़ा संज्ञान लेते हुये हाईकमान ने वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह को दिल्ली बुलाया है। कौल सिंह की सोनिया गांधी से भी प्रदेश के हालात पर मंत्रणा होगी। यह भी माना जा रहा है। अब तक मुख्यमंत्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जिस कवच के सहारे प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे थे पहली बार इस सर्वे ने उस सब कुछ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्योंकि जो सरकार अभी इस स्थिति पर पहुंच गयी है वह लोकसभा चुनाव तक अपने को बचाये भी रखे या नहीं यह सवाल भी खड़ा हो गया।

कांग्रेस प्रदेश की जनता को दस गारंटीया देकर सत्ता में आयी थी और यह भरोसा दिया था कि मंत्री परिषद की पहली बैठक में इन्हें लागू कर दिया जायेगा। सुक्खू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। आज जो गारंटीयां दी गयी थी उनके इस कार्यकाल में लागू हो पाने की संभावना दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि सरकार ऐसे वित्तीय संकट से घिर गयी है कि सारे कर्मचारियों को समय पर वेतन तक का भुगतान नहीं कर पा रही है। वित्तीय वर्ष के तीसरे ही माह ओवरड्राफ्ट लेना पड़ गया है। आने वाले दिनों में यह संकट और बढ़ेगा यह तय है। सुक्खू सरकार का वित्तीय संकट दिल्ली तक प्रचारित हो चुका है और उसी का संज्ञान हाईकमान ने लिया है। सरकार ने इस संकट का खुलासा तो मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रैस नोट में ही दर्ज है। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह कहना कि संकट को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है।

''हिमाचल के सभी सरकारी कर्मचारियों को तय समय पर वेतन दिया जा रहा है। हिमाचल की छवि खराब करने के लिए दिल्ली से भ्रामक अभियान चलाया जा रहा है। हिमाचल के किसी मीडिया को ऐसी (खजाना खाली होने सैलेरी के संकट की) कोई जानकारी नहीं है तो फिर दिल्ली में कौन ऐसी अफ़वाहें फैला रहा है।

–सुखविंदर सिंह सुक्खू–
मुख्यमंत्री ''

यह सरकार छः माह में ही है इस मुकाम पर क्यों पहुंच गयी यदि इसका आकलन किया जाये तो सरकार का पहला फैसला था पिछली सरकार द्वारा अन्तिम छः माह में लिये गये फैसलों को बदलना। इसमें करीब नौ सौ संस्थानों को पहले दिन ही बदल दिया गया और आरोप लगा कि बिना उचित विचार विमर्श के यह कारवाई राजनीतिक बदले के लिए हुई। पूरे प्रदेश में विधानसभा सदन तक यह मुद्दा बनने के साथ ही उच्च न्यायालय में भी पहुंच गया। पिछली सरकार के कर्ज और देनदारियों के आंकड़े जारी करने के साथ ही उस काल के वित्त सचिव को मुख्य सचिव बना दिया और वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र आज तक नहीं आ पाया। अब तो उसकी प्रसंगिकता ही खत्म हो चुकी है। प्रशासन में कोई प्रभावी फेरबदल न करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक को यह नही लग पाया कि सरकार बदल चुकी है। करीब एक दर्जन आईपीएस और आईएएस अधिकारी बिना पोस्टिंग के चल रहे हैं। मंत्रिमण्डल में सभी जिलों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। जिला शिमला से मंत्रिमण्डल में तीन मन्त्री और आधा दर्जन गैर विधायकों की सरकार में ताजपोशीयां सबके लिये हैरत बना हुआ है। एचआरटीसी के कर्मचारियों और पैन्शनरों को समय पर वेतन और पैन्शन नहीं मिल रही है। लेकिन उसी एचआरटीसी के लिये एक करोड़ बीस लाख प्रति बस के हिसाब से इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं। अन्य विभागों में भी यही चलन है। इससे सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों का करोड़ों का भुगतान रुका है। इस समय केवल पी एम जी एस वाई में चल रहे कामों का ही भुगतान हो रहा है अन्य भुगतान बन्द हैं।

सरकार में ऐसी दर्जनों विसगतियां भरी पड़ी है जिनसे यह संकेत उभरते हैं कि सरकार एक राजनीतिक प्रशासक की बजाये एक ठेकेदारी वाली मानसिकता पर काम कर रही है। इसी कारण से भ्रष्टाचार के एक भी मामले पर कारवाई नहीं हो रही है। शांग-टांग परियोजना मामला इसका बड़ा उदाहरण बन चुका है। वितीय संकट के साथ ही राजनीतिक संकट और गहराता जा रहा है। क्योंकि मुख्य संसदीय सचिवों के मामले में लोकसभा चुनावों से पूर्व फैसला आना ही है। यह फैसला इनके खिलाफ जायेगा यह असम के संुदर्भ में जुलाई 2017 में आये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इंगित हो जाता है। उस समय सारे राजनीतिक समीकरण एकदम गड़बड़ा जायेंगे और सरकार का अस्तित्व भी संकट में आ जायेगा। इसलिये लोकसभा को लेकर आये पार्टी के अपने सर्वे ने ही कांग्रेस हाई कमान को हिमाचल के हालात पर सोचने के लिये विवश कर दिया है।

रोजगार कार्यालयों की सभी सेवाएं अब घर–द्वार पर होंगी उपलब्धः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने रोजगार कार्यालयों की उपलब्धता और दक्षता बढ़ाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिज्ञा के तहत कागज रहित प्रणाली को लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। इसके साथ ही जिस तरह नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को रोजगार कार्यालयों के बार-बार चक्कर काटने पड़ते हैं, उसमें बदलाव लाते हुए उम्मीदवारों के लिए रोजगार कार्यालयों तक पहुंच सुगम बनाना है।

नई पहल के तहत, रोजगार चाहने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण करवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कागज रहित पंजीकरण से बेरोजगार युवाओं, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों पर पड़ने वाला यात्रा सम्बन्धी तथा अन्य वित्तीय खर्च समाप्त होगा।

नई व्यवस्था के तहत युवा रोजगार कार्यालय में आये बिना स्वयं या लोकमित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन पंजीकृत और अपलोड किया जा सकेगा और पंजीकरण का टोकन यानी पंजीकरण का प्रमाण ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 50 वर्षों से रोजगार कार्यालयों में युवाओं को स्वयं जाने की जरूरत को समाप्त करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा अब एक अधिक सुविधाजनक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली स्थापित की जा रही है। पूर्व में ऑनलाइन पंजीकरण के बाद भी युवाओं को अपने मूल दस्तावेजों के साथ रोजगार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने में प्रौद्योगिकी की क्षमता को न केवल पहचाना है बल्कि इसे तुरंत अपनाकर संस्थानों, कार्यालयों एवं प्रक्रियाओं में बदलाव लाने के लिए प्रभावी कदम भी उठाये हैं।

नवपरिवर्तन को युवाओं के लिए सुगम बनाने के मद्देनज़र श्रम और रोजगार विभाग ने ई-ईएमआईएस (रोजगार विनिमय प्रबंधन सूचना प्रणाली) के नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यह सॉफ्टवेयर आवेदकों को बिना किसी वित्तीय परेशानी के ऑनलाइन पंजीकरण करने में सक्षम बनाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कागज रहित पंजीकरण की शुरूआत से नौकरी चाहने वालों के लिए पैसों के साथ-साथ समय की बचत भी सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के उपयोग से रोजगार कार्यालयों को समावेशी बनाने, कार्यालयों में प्रक्रिया सम्बन्धी बाधाओं को कम करना और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह प्रगतिशील बदलाव डिजिटलीकरण की दिशा में एक ऐसा कदम है जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बदलने और सेवाओं तक आसानी से पहुंच बढ़ाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों की सुविधा के लिए कृत्रिम मेध (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सहित आधुनिक तकनीक का लाभ उठाना और उन्हें घर-द्वार पर बेहतर सेवाएं प्रदान करना सरकार की प्रतिबद्धता है।

जादूगर सम्राट शंकर ने की राज्यपाल से भेंट

शिमला/शैल। प्रख्यात जादूगर सम्राट शंकर ने राज भवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। उन्होंने

राज्यपाल को उनके द्वारा शिमला में विगत 5 जून से आयोजित किए जा रहे 'फैमिली शो' की जानकारी दी।

उन्होंने राज्यपाल को अवगत करवाया कि वे अब तक लगभग 30 हजार मैजिक शो कर चुके हैं जिनमें से 24 हजार शो परोपकार कार्य के लिए किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे पिछले पांच दशकों से लगातार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यपाल ने सम्राट शंकर की उत्कृष्ट कला और विशेष रूप से परोपकारी कार्यों में उनके योगदान की सराहना की। राज्यपाल ने सम्राट शंकर को हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया।

राज्यपाल ने रक्तदान शिविर का किया शुभारम्भ

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा द्वारा आयोजित विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर राज्यपाल एवं राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने रक्तदाताओं से बातचीत की और उनके मानवीय कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा यह स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, जो रक्तदान कर समाज सेवा की दिशा में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान की महत्ता को समझते हुए राज्य रेडक्रॉस अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से इस प्रकार के शिविरों का आयोजन कर रहा है और आम जनता को रक्तदान के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में सेना के जवान भी शिविर में रक्तदान कर रहे हैं। सेना के जवान सीमा पर तैनात होकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और रक्तदान कर समाज सेवा के लिए वे समर्पित रहते हैं। उन्होंने लोगों से बढ़-चढ़ कर रक्तदान करने का आग्रह भी किया।

राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की मानद सचिव डॉ. किमी सूद, क्लस्टर हेड, क्लब महिंद्रा, गगनदीप और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से 250 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होगा अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर, शिमला में बैठक की अध्यक्षता करते

हुए कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से जिला कांगड़ा के डगवार में लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके संचालन से लेकर विपणन संबंधी गतिविधियों के लिए एनडीडीबी की सहायता ली जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डगवार दुग्ध संयंत्र की क्षमता एक लाख लीटर से तीन लाख लीटर तक होगी, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले दूध के उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिज्ञापत्र में किसानों से गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर खरीदने का वायदा किया है और राज्य सरकार इस वायदे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि डगवार में प्लांट की स्थापना से कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा जिलों के दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि एनडीडीबी द्वारा इन क्षेत्रों में दुग्ध संग्रहण प्रणाली के लिए एक सर्वेक्षण करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादों की पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए संकल्पित है, इसलिए प्रदेश सरकार प्लास्टिक के विकल्प भी तलाश कर रही है, जिससे राज्य की जलवायु और हवा को प्लास्टिक के हानिकारक तत्वों से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और पशुपालन और कृषि एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना जरूरी है।

बैठक में एनडीडीबी के अध्यक्ष मीनेश शाह ने कहा कि इस मिशन के लिए हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। एनडीडीबी संयंत्र के संचालन और दुग्ध उत्पादों के विपणन के लिए अपने खर्च पर दो सलाहकार भी उपलब्ध करवाएगा।

बैठक में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार, मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार और आशीष बुटेल, हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, सचिव कृषि राकेश कंवर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बना पेपरलैस

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहली ई-फाईल को स्वीकृति प्रदान की। यह ई-ऑफिस एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित की गयी है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा उपायुक्तों को ई-आफिस प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में हिमाचल प्रदेश सचिवालय, सभी निदेशालयों तथा फील्ड कार्यालयों में 01 जुलाई, 2023 तक ई-ऑफिस एप्लीकेशन आरम्भ करने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी विभागों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा इसे प्रभावशाली बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के डिजिटल तकनीक से सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कागजों पर निर्भरता को कम करने, समय व धन की बचत और प्रभावशाली कार्यप्रणाली के लिए ई-ऑफिस को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रणाली के माध्यम से दस्तावेजों की सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा अधिकारियों को भी कार्य करने में सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली दस्तावेजों के डिजिटाईजेशन तथा कागजी कारवाई को कम कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी। इससे त्वरित सूचना प्राप्ति, सरल सामंजस्य तथा बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा

मुख्य सचिव ने आधार के नामांकन पर अद्यतन स्थिति की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ की उप महानिदेशक, भावना गर्ग ने राज्य में आधार नामांकन और अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे अपने आधार को नवीनतम पते और मोबाइल नंबर से अपडेट रखें। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान विवरणों में कोई बदलाव नहीं किया है, उन्हें भी आवश्यक दस्तावेज जमा करवाकर अपना आधार अपडेट करवाना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रदेश में रह रहे लोगों के ऑनलाइन अपडेट के प्रावधान के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

डीडीजी, भावना गर्ग ने बताया कि पहचान के नवीनतम प्रमाण और दस्तावेजों को अपडेट करके नागरिकों के आधार को मजबूत करने के लिए एक नई पहल की है। इसके अन्तर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने दस्तावेज अद्यतन सुविधा के माध्यम से आधार में दस्तावेज अद्यतन की एक नई सुविधा शुरू की है।

सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि यह सुविधा 'माई आधार' पोर्टल और प्रदेश के विभिन्न आधार नामांकन केंद्रों पर केवल 50 रुपये का भुगतान करके ऑनलाइन उपलब्ध है। यूआईडीएआई ने लोगों राहत प्रदान करते हुए 14 सितंबर, 2023 तक ऑनलाइन आधार दस्तावेज अपडेट की निःशुल्क सुविधा प्रदान की है।

सरकार हरित उद्योग के विकास पर व्यय करेगी 4000 करोड़ रुपये

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एशियन विकास बैंक के सहयोग से राज्य में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को इनका समयबद्ध लाभ

मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी भवनों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निष्क्रिय परियोजनाओं के पुनरुद्धार या हस्तांतरण अन्य विभागों को सुनिश्चित करने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार और राजस्व सृजन में पर्यटन क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हरित उद्योग को बढ़ावा दे रही है और पर्यटन हरित उद्योग का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरकार हरित उद्योग पर 4,000 करोड़ रुपये व्यय करने जा रही है, जो राज्य में पर्यटकों की आमद को बढ़ाने में मील पत्थर साबित होगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पर्यटकों के अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से वर्तमान राज्य सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने और पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए भविष्य में भी प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिला कांगड़ा के पौंग बांध में साहसिक पर्यटन गतिविधियां आरम्भ करने के लिए 70 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को शुरू करने में अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिए पर्यटन विभाग को भवनों के निर्माण के साथ-साथ इनमें विद्युत और पानी की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, विधायक चंद्रशेखर व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को सौंपा विश्व तम्बाकू नियंत्रण के लिए प्रदत अवार्ड

शिमला/शैल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक सुदेश मोक्टा तथा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डा. गोपाल बेरी ने विश्व तम्बाकू नियंत्रण के लिए प्रदत अवार्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. कर्नल धनीराम शांडिल को सौंपा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि इस वर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर तम्बाकू नियंत्रण के लिये किये गये सराहनीय कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के प्रयासों और आम जनता के सहयोग से प्रदेश में तम्बाकू के प्रयोग में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण के लिए पुलिस व स्वास्थ्य विभाग, आम जनता, स्वयं सेवी संस्थाओं और मीडिया का सराहनीय योगदान रहा है।

उन्होंने प्रदेश को तम्बाकू मुक्त करने के लिए इस वर्ष पूरे प्रदेश में 31 मई से 31 जुलाई, 2023 तक युवा बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए सभी नागरिकों से सहयोग देने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी डा. गोपाल चौहान भी उपस्थित थे।

मंत्रिमण्डल की बैठक के लिए ई-बस से सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चौड़ा मैदान शिमला से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 20 नई ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे शहर में

अब ई-बसों की कुल संख्या 50 से बढ़कर 70 हो गयी है।

इस अवसर पर पत्रकारों से औपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम 90 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। इनमें 17 ई-बसें कुल्लू में, 5 मंडी में, 3 बिलासपुर तथा 50 ई-बसे शिमला जिले के ढली डिपो में हैं। वर्तमान में धर्मशाला में निगम के बेड़े में 15 अतिरिक्त ई-बसें शामिल की गई हैं। इन ई-बसों की परिचालन लागत डीजल बसों की तुलना में बेहद कम लगभग 25 रुपये प्रति किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग प्राप्त होगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परिवहन निगम ने शिमला स्थानीय और नादौन में उपयोग की जाने वाली 75 टाइप-1 ई-बसों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है और मौजूदा डीजल बसों को बदलने के लिए 225 टाइप-2 ई-बसों के लिए तकनीकी विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1500 बसों के पूरे बेड़े को ई-बसों से बदलेगी जिसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा इन ई-बसों को पर्यटन वृत्त पर भी चलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित किया जाए जिसके लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अपने प्रथम बजट में ही विभिन्न उपायों का समावेश किया गया है।

मुख्यमंत्री ने मंत्रिमण्डल की बैठक में भाग लेने के लिए चौड़ा मैदान से प्रदेश सचिवालय तक की यात्रा ई-बस से की।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव चौधरी राम कुमार, विधायक हरीश जनारथा, प्रबंध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम संदीप कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध होंगी स्मार्ट सुविधाएंः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी सरकारी संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सरकारी विद्यालयों में 11वीं और 12वीं कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये कक्षाएं स्मार्ट क्लासरूम उपकरण, विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट फर्नीचर से सुसज्जित होंगी और सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर सीखने का माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से कक्षाओं की इंटीरियर में भी सुधार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को इस सुविधा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्यार्थियों की अच्छी संख्या, इंटरनेट सुविधा और बेहतर अधोसंरचना वाले स्कूलों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके उपरांत अगले चरणों में इस सुविधा का 8वीं से 10वीं और 7वीं से पहली कक्षा तक विस्तार किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विशेष रूप से राज्य के दूरदराज क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार पर विशेष बल दे रही है ताकि इन संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र पर विशेष बल दिया है। इन्हीं प्रयासों के तहत प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में पुस्तकालय कक्ष स्थापित किए जाएंगे और इस वर्ष सरकारी स्कूलों को 40 हजार आधुनिक डेस्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा पद्धति में सुधार और बच्चों को आधुनिक माध्यमों से शिक्षा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत प्राथमिक विद्यालयों के 17 हजार से अधिक शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी शिक्षण संस्थानों के मेधावी विद्यालथ्यों को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

बी.बी.एम.बी. की परियोजनाओं से पानी निकालने के लिए एनओसी शर्त समाप्त

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पहला कदम बढ़ा दिया। अब तक भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड की परियोजनाओं से पेयजल आपूर्ति और सिंचाई कार्यों के लिए पानी लेने से पूर्व बी.बी.एम.बी. से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस मुद्दे को केन्द्र सरकार से प्रमुखता के साथ उठाया और अब केंद्र सरकार ने इस शर्त को हटा दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा 'हिमाचल प्रदेश में निवेश के नाम पर 'इन्वेस्टमेंट ड्रेन' हुआ है। हिमाचल में बनी जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। पानी और भूमि हिमाचल प्रदेश का है और इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर कई कंपनियाँ सालाना हजारों करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित कर रही हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश को इन परियोजनाओं में नाममात्र की ही हिस्सेदारी मिल रही है, जो राज्य के लोगों के साथ अन्याय है। प्रदेश को उसका अधिकार मिलना चाहिए और इस विषय को वर्तमान राज्य सरकार मजबूती से हर मंच पर उठा रही है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार के गठन के बाद से ही जल विद्युत परियोजनाओं में भी ज्यादा रॉयल्टी की माँग की जा रही है। बी.बी.एम.बी. द्वारा संचालित भाखड़ा बांध परियोजना, ब्यास सतलुज लिंक व पौंग बांध परियोजना में किसी प्रकार की मुफ्त बिजली की रॉयल्टी नहीं दी जा रही है। इसके कारण प्रदेश सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित होना पड़ रहा है। बी.बी.एम.बी. की इन परियोजनाओं में प्रदेश सरकार को हिस्सेदारी के रूप में केवल मात्र 7.19 प्रतिशत बिजली प्रदान की जा रही है, जो पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार इन परियोजना में अधिक हिस्सेदारी की माँग कर रही है।

इसके साथ-साथ वर्तमान में एस.जे.वी.एन.एल. द्वारा संचालित नाथपा झाकड़ी परियोजना व रामपुर परियोजना से प्रदेश को केवल 12 प्रतिशत की दर पर मुफ्त बिजली प्राप्त हो रही है जबकि एस.जे.वी.एन.एल. को इन ऋण मुक्त हो चुकी परियोजनाओं से लाभ मिल रहा है। इन परियोजनाओं में अनुबन्ध अवधि सीमा भी निर्धारित नहीं की गयी है, ऐसे में मुख्यमंत्री प्रमुखता के साथ इन परियोजनाओं 40 वर्ष की समय अवधि के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार को स्थानांतरित करने की माँग कर रही है।

सरकारी कार्यप्रणाली में दक्षता लाने के लिए एआई तकनीक के उपयोग पर बल

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आई आई टी रोपड़ से सहयोग मांगा है। शिमला में आई.आई.टी. मंडी के निदेशक प्रो. लक्ष्मीधर बेहरा और आई.आई.टी. रोपड़ के निदेशक प्रो. राजीव आहूजा के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्य प्रणाली में अधिक से अधिक दक्षता लाने तथा लोगों को लाभ प्रदान करने के लिये मेधा ए आई और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने की राज्य सरकार की प्रतिबधता दोहराई।

ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने उनसे राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने के बारे में भी सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि इस पहल से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पालमपुर को आईटी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सक्रियता से कार्य कर रही है। इससे राज्य में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार गोकुल बुटेल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा और सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डा. अभिषेक जैन भी बैठक में उपस्थित थे।

जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है , स्वयं को बनाना पड़ता है , जो जैसा मार्ग बनाता है उसे वैसा ही मंज़िल मिलता है ।

......स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

मुफ्ती को सस्ती से बदलने पर होगा संकट का हल

हिमाचल प्रदेश इस समय गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है संकट की गंभीरता का इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि आधा दर्जन निगमों/बोर्डो के कर्मचारियों को इस माह समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति के जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में यह संकट और गहरा जायेगा। मुख्यमंत्री ने संकट के लिये पूर्ववर्ती पिछले चालीस वर्षो की सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए केन्द्र पर भी आक्षेप किया है कि उसने सरकार के कर्ज लेने की सीमा में कटौती करके यह हालत पैदा कर दिये हैं। मुख्यमंत्री का यह सब कहना कितना सही है इस पर विस्तार से कई दिनों तक बहस की जा सकती है। लेकिन इस समय का सबसे बड़ा प्रश्न यह बनता जा रहा है कि इस संकट का अन्तिम परिणाम क्या होगा और इसका समाधान क्या है। यह एक सामान्य स्थापित सच है कि जब एक परिवार की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाती है तो उसे सुधारने के लिये परिवार से ही शुरुआत करनी पड़ती है। परिवार के अनावश्यक खर्चों में कटौती करके प्राथमिकताओं को भी नये सिरे से परिभाषित करना पड़ता है। परिवार की तर्ज पर ही राज्य का शासन प्रशासन चला करता है।

इस समय सरकार के अनावश्यक खर्चों और प्राथमिकताओं पर चर्चा करने से पहले कुछ तथ्यों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि सरकार का कर्ज भार एक लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। 2016 में जब कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किया गया था तब उसके फलस्वरूप अर्जित हुआ एरियर भी आज तक नहीं दिया जा सका है। एक समय यह प्रदेश नौकरी देने वालों में क्षिम के बाद देश का दूसरा बड़ा राज्य बन गया था। तब कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने के कदम उठाये गये थे। इसके लिए दीपक सानन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था। लेकिन आज प्रदेश बेरोजगारी के लिये देश के छः राज्यों की सूची में आ गया है। इस प्रदेश को एक समय बिजली राज्य की संज्ञा देते हुये यह दावा किया गया था कि अकेले बिजली उत्पादन से ही प्रदेश की वितीय आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी। बिजली के नाम पर ही उद्योगों को आमन्त्रित किया गया था। लेकिन आज हिमाचल का प्राइवेट क्षेत्र लोगों को सरकार के बराबर रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाया है। प्राइवेट क्षेत्र को जितनी सब्सिडी सरकार दे चुकी है उसके ब्याज के बराबर भी प्राइवेट क्षेत्र सरकार को राजस्व नहीं दे पाया है। आज जो कर्ज भार प्रदेश पर है उसका बड़ा हिस्सा तो प्राइवेट सैक्टर को आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने में ही निवेशित हुआ है। लेकिन उद्योगों के सहारे किये गये दावों से हकीकत में प्रदेश के आम आदमी को बहुत कुछ नहीं मिल पाया है। इसलिये उद्योगों से उम्मीद करने से पहले उद्योग नीति पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।

पिछले चालीस वर्षो में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जितना संख्यात्मक विकास प्रदेश में हुआ है उसमें यदि और आंकड़े न जोड़कर इन संस्थानों में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास किया जाये तो उसकी आवश्यकता है न कि बिना अध्यापक के स्कूल और बिना डॉक्टर के अस्पताल की। आज लोगों को मुफ्त बिजली का प्रलोभन देने के बजाये बिजली सस्ती करके सबको उसका बिल भरने योग्य बनाना आवश्यक है। जो गारंटीयां सरकार पूरी करने का प्रयास और दावा कर रही है क्या वह सब कर्ज लेकर किया जाना चाहिये। शायद नहीं। आज गांवों में हर परिवार को डिपों के सस्ते राशन पर आश्रित कर दिया गया है और सस्ते राशन की कीमत कर लेकर चुकाई जा रही है। आज यदि सर्वे किया जाये तो गावों में 80% से ज्यादा खेत बन्जर पड़े हुये हैं। इस समय मुफ्ती की मानसिकता को सस्ती में बदलने की आवश्यकता है। यदि दो-तीन वर्ष बजट में नयी घोषणाएं करने के बजाये पुरानी की व्यवहारिकता को परख उसे पूरा करने की मानसिकता सरकार की बन जाये तो बहुत सारी समस्याएं स्वत: ही हल हो जाती हैं। कर्ज लेने की बजाये भारत सरकार की तर्ज पर संपत्तियों के मौद्रीकरण पर विचार किया जाना चाहिये। इसके लिए एक समय पंचायतों से जानकारी मांगी गयी थी उस पर काम किया जाना चाहिये।

अल्पसंख्यकों के कल्याणकारी योजनाओं पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी के मायने

गौतम चौधरी

अभी हाल ही के दिनों में गुजरात की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता का सही अभ्यास समुदायों के विकास में है। अपने भाषण में उन्होंने यह भी जोड़ा कि कल्याणकारी योजनाओं में बिना किसी भेद-भाव के सभी को समान रूप से शामिल करना और लाभान्वित करना है, चाहे उनकी धार्मिक, जाति और क्षेत्रीय संबद्धता कुछ भी हो। उक्त सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके अलावा, किसी भी संप्रदाय के व्यक्तियों के हक के वितरण में किसी भी प्रकार के कदाचार या पूर्वाग्रह का उन्मूलन ही धर्मनिरपेक्षता की वास्तविक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब व्यक्तियों की संतुष्टि और आत्म-आश्वासन तब बढ़ जाता है जब उनकी मूलभूत जरूरतें पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी योजना पर भी स्पष्टिकरण प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि इस प्रयास को पूरा करने के लिए, सरकार ने उन वंचित समूहों के लिए सकारात्मक कारवाई की दिशा में कार्य योजनाएं तैयार की हैं, जो आर्थिक रूप से धीमी गति से बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य वंचित समूहों की तुलना में मुस्लिम अल्पसंख्यक का आर्थिक विकास थोड़ा कमजोर है। कल्याणकारी योजनाओं में आत्मनिर्भरता और गतिशीलता के लिए आवास, शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और माइक्रो फाइनेंस सहायता प्रदान करना शामिल है। मोदी ने अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चलाए जा रहे कई योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से, सरकार ने प्रासंगिक कदम उठाए हैं। इस समाज के लिए नया सवेरा, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, हमारी धरोहर, नई उड़ान, गरीब नवाज रोजगार योजना और शादी मुबारक योजना सहित कई योजनाओं को लागू किया है। मुस्लिम विशेष रूप से नई उड़ान पहल के लिए लक्षित समुदाय हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को प्रभावी ढंग से उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस फंडिंग का उद्देश्य उन्हें संघ और राज्य सरकारों में सिविल सेवा में चयन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त रूप से संपन्न करना है, जिससे सिविल सेवा में अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। प्रशासन ने मोमा छात्रवृत्ति के तहत मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के 2.37 करोड़ छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान की।

सरकार ने उन वंचित समूहों के लिए सकारात्मक दिशा में पहल किया है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उसके लिए सरकार लगातार योजनाएं चला रही है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य वंचित समूहों की तुलना में मुस्लिम अल्पसंख्यक का आर्थिक विकास कमजोर है।

मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति के तहत, लाभार्थियों को ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपना आवास बनाने के लिए 1.2 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों को 1.3 लाख रुपये का सहयोग दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 2.31 करोड़ आवासों में से उल्लेखनीय 31 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी वाले उच्च घनत्व वाले 25 क्षेत्रों में वितरित किए गए हैं। इसी तरह, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 33 प्रतिशत लाभार्थी अल्पसंख्यक हैं। जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नौ करोड़ लाभार्थियों में से 37 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), कौशल भारत मिशन के हिस्से के रूप में, अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों सहित एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 2016 से 2020 तक चार साल की अवधि में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लगभग 10 से अधिक अल्पसंख्यक समुदायों के लोग लाभान्वित हुए। इसके अलावा, प्लेसमेंट से जुड़े कौशल प्रशिक्षण और प्रशिक्षण घटक के माध्यम से प्रमाणन प्राप्त करने वाले 415,000 उम्मीदवारों में से कुल 204,000 उम्मीदवारों ने विविध प्रतिष्ठानों में सफलतापूर्वक रोजगार हासिल किया है। इसमें भी अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों की संख्या अधिक है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास के तरीकों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करना और हुनर को बढावा देना वर्तमान सरकार का लक्ष्य है। मोदी ने यह भी कहा कि सरकार अपनी ओर से हाशिए के समूहों की पारंपरिक दक्षताओं को संरक्षित और आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही है, साथ ही व्यावसायिक क्षेत्र के साथ उनके संबंध स्थापित कराने की कोशिश भी कर रही है। इसके बाद, शासन तेजी से बढ़ते बाजार के भीतर अवसरों तक पहुंचने के लिए कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की क्षमता को विकसित करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा, यह मौजूदा मजदूरों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जिनकी शिक्षा अधूरी रह गयी थी उन्हें भी सफल प्लेसमेंट की गारंटी देती है। संक्षेप में, सरकार की योजनाएं वंचित अल्पसंख्यक समूहों के बीच बेहतर जीविका के लिए रास्ते बनाने और उन्हें सामाजिक ताने-बाने में एकीकृत करने का प्रयास कर रही है।

नरेन्द्र मोदी के इस भाषण के यही मायने निकाले जा सकते हैं कि सरकार पर जो अल्पसंख्यक विरोध का आरोप लगाया जा रहा है वह बेबुनियाद है। मोदी इस आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया कि वे सभी का विकास और उस विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे मौकों पर उन्होंने अपने भाषण में साफ संदेश दिया है कि देश में किसी भी समुदाय को वरीयता नहीं दी जाएगी। जो वंचित है उसके लिए संविधान सम्मत प्रयास किया जाएगा। उदंडता किसी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंतरिक और वाह्य सुरक्षा पर समझौता नहीं किया जाएगा। गैरकानूनी काम करने वाले चाहे जिस किसी समुदाय के हों उन्हें सजा दिलाने की जिम्मेदारी शासन की होगी। ऐसे में सरकार के मुखिया पर अनर्गल आरोप कहीं टिक नहीं रहा है।

मंदिरों में ई-कनेक्टिविटी सुविधा और सौन्दर्यीकरण से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

शिमला। देवभूमि के रूप में प्रख्यात हिमाचल प्रदेश में धार्मिक, साहसिक और प्राकृतिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पहाड़, झीलें, नदियां और मनभावन वादियां प्रदेश के नैसर्गिक सौन्दर्य को विश्वभर में अलग पहचान दिलाती हैं। विविध सांस्कृतिक विरासत और भव्य मंदिर यहां के समृद्ध इतिहास को प्रदर्शित करते हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में अवसरों और संसाधनों के उपयोग के लिए राज्य सरकार ने अनेक नवोन्मेषी प्रयास किये हैं। प्रदेश के शक्तिपीठ हर वर्ष लाखों भक्तों को आकर्षित करते हैं। सरकार ने अब प्रदेश के प्रमुख मंदिरों को ई-कनेक्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिससे भक्तों को घर बैठे ही दर्शन की सुविधा सुनिश्चित होगी।

ऊना जिले के प्रसिद्ध माता चिंतपूर्णी मंदिर से शुरुआत करते हुए, अब सरकार ने प्रदेश के मंदिरों और शक्तिपीठों में हवन, भंडारा और जागरण समारोहों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। इस उद्देश्य के लिये सॉफ्टवेयर के विकास का कार्य चल रहा है।

इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रद्धालु मंदिर के पुजारियों से जुड़ सकेंगे, अनुष्ठानों के लिये बुकिंग कर सकेंगे और ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर भक्तों को विशेष पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त भी प्रदान करेगा। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से श्रद्धालुओं को बेहतरीन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होगा। यह तकनीकी प्रयोग हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का सदुपयोग करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

तीर्थयात्रियों के अनुभव को और सुखद बनाने के लिए सरकार प्रमुख मंदिरों के सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी कार्य कर रही है। ऐसा ही एक उदाहरण हमीरपुर जिले में स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर है, जो दियोटसिद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। चकमोह गांव में एक पहाड़ी की चोटी पर प्राकृतिक गुफा में स्थित यह मंदिर लाखों भक्तों के लिए महत्त्व रखता है।

क्षेत्र में आगंतुकों की सुविधा के लिए, राज्य सरकार ने बाबा बालकनाथ मंदिर में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के सुधार के लिए 65 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। एशियाई विकास बैंक द्वारा स्वीकृत इस राशि का उपयोग मंदिर परिसर के भीतर सौर स्ट्रीट लाइट लगाने और मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों और रास्तों की मरम्मत के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, तीर्थयात्रियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए विश्राम कक्षों, वर्षा शालिकाओं व शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई इन पहलों का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ श्रद्धालुओं को सहज और समृद्ध अनुभव प्रदान करना है। ई-कनेक्टिविटी की व्यवस्था से श्रद्धालुओं को विभिन्न सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे निश्चित रूप से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार के दृढ़ प्रयासों से देवभूमि हिमाचल को सभी के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।

मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ नशा मुक्त भारत अभियान गति पकड़ रहा है

शिमला। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अपने सभी नागरिकों के लिए एक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में काम कर रहा है। पिछले नौ वर्षों में, मंत्रालय ने छात्रवृत्ति, बुजुर्ग नागरिकों, सफाई कर्मचारियों और ट्रांसजेंडर लोगों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों सहित समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं और पहल शुरू की हैं।

नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य युवाओं के बीच मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है, उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, स्कूलों पर विशेष ध्यान देना और समुदाय में पहुंचना और अभियान में समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व हासिल करना है।

एनएमबीए को 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और वर्तमान में इसे 372 चिन्हित सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया जा रहा है।

एक अभियान मोड कार्यक्रम होने के नाते, अभियान ने उन हितधारकों को लक्षित और शामिल किया है जो मादक द्रव्यों के सेवन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं और जो इसके प्रति संवेदनशील हैं। एनएमबीए के प्रमुख हितधारक और लाभार्थी युवा, महिलाएं, बच्चे, शैक्षिक संस्थान, नागरिक समाज और बड़े पैमाने पर समुदाय हैं। इसके लॉन्च के बाद से, पूरे देश में कई तरह की गतिविधियां आयोजित की गयी हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों और हितधारकों की भागीदारी बढ़ी है। मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे में सामुदायिक भागीदारी के लिए संगठनात्मक भागीदारी के पहले के दृष्टिकोण से बदलाव आया है। राज्यों, जिलों और अन्य हितधारकों ने अभियान को अपनाया है जिसने अभियान को जन आंदोलन में बदलने में मदद की है।

जमीनी स्तर पर की गयी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एनएमबीए की उपलब्धियों के तहत, 3.22 करोड़ युवा और 2.14 करोड़ महिलाओं सहित 9.91 करोड़ लोगों को नशीले पदार्थों के उपयोग पर संवेदनशील बनाया गया है। 3.18 लाख शिक्षण संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे। 8,000 मास्टर स्वयंसेवकों की एक मजबूत सेना की पहचान की गयी है और प्रशिक्षण दिया गया है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई है। एनएमबीए मोबाइल एप्लिकेशन एनएमबीए गतिविधियों के डेटा को इकट्ठा करने और एकत्र करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एनएमबीए डैशबोर्ड पर प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है। एनएमबीए वेबसाइट (http://nba.dosje.gov.in) उपयोगकर्ता/दर्शक को अभियान, राज्यों और जिलों में इसकी पहुंच और अभियान के तहत अब तक की गयी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अभियान से जुड़ने का कई लोगों ने संकल्प लिया। नशा मुक्त होने की राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रतिज्ञा में 99,595 शैक्षणिक संस्थानों के 1.67 करोड़ छात्रों ने नशा मुक्त होने का संकल्प लिया। ओलंपिक पदक विजेता रवि कुमार दहिया, सुरेश रैना, अजिंक्य रहाणे, संदीप सिंह, सविता पूनिया जैसे खिलाड़ियों ने एनएमबीए के समर्थन में संदेश साझा किए हैं। 'नशे से आजादी- एक राष्ट्रीय युवा और छात्र संवाद कार्यक्रम', 'नया भारत, नशा मुक्त भारत', 'एनएमबीए इंटरेक्शन विथ एनसीसी' जैसे कार्यक्रम नियमित रूप से युवाओं और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने और एक साथ आने के लिए आयोजित किये जाते हैं। एनएमबीए को समर्थन देने और जन जागरूकता गतिविधियों का संचालन करने के लिए द आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्मा कुमारिस और संत निरंकारी मिशन जैसे आध्यात्मिक / सामाजिक सेवा संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन किए गए हैं। राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन '14446' नशामुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 व्यक्तियों को पहली कॉल से ही प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान करती है। हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 2.8 लाख कॉल्स आ चुकी हैं। एक हेल्पलाइन डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है जो निजता सुनिश्चित करते हुए राज्य, जिला और कॉलर विशिष्ट डेटा प्रदान करता है।

2020 में अभियान की शुरुआत के बाद से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय समर्थित केंद्रों से परामर्श और नशामुक्ति सेवाओं की मांग करने वाले लोगों में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभाव और ऐसे पदार्थों के उपयोग से दूर रहने के संदेश को फैलाने में सभी का समर्थन चाहता है।

गीता प्रेस, गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा

शिमला। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस, गोरखपुर को प्रदान किया जा रहा है।

गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। वर्ष 1995 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप इस पुरस्कार की स्थापना की गयी थी। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग के भेदभाव के बगैर सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। पुरस्कार में एक करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पटिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला / हथकरघा विशिष्ट कृति प्रदान की जाती है।

पूर्व पुरस्कार विजेताओं में इसरो, रामकृष्ण मिशन, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक, विवेकानंद केंद्र (कन्याकुमारी), अक्षय पात्र (बेंगलुरु), एकल अभियान ट्रस्ट (भारत) और सुलभ इंटरनेशनल (नई दिल्ली) जैसे संगठन शामिल हैं। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति स्व. डॉ.नेल्सन मंडेला, तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. जूलियस न्येरेरे, श्रीलंका के सर्वोदय श्रमदान आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. ए.टी. अरियारत्ने, जर्मनी संघीय गणराज्य के डॉ.गेरहार्ड फिशर, बाबा आमटे, आयरलैंड के डॉ. जॉन ह्यूम, चेकोस्लोवाकिया के पूर्व राष्ट्रपति वाक्लेव हवेल, दक्षिण अफ्रीका के आर्कबिशप डेसमंड टूटू, चंडी प्रसाद भट्ट और जापान के योही ससाकावा शामिल हैं।

हाल के वर्षों में 2019 में ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद और 2020 में बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने 18 जून, 2023 को विचार-विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस, गोरखपुर का चयन किया है। यह पुरस्कार गीता प्रेस, गोरखपुर को अहिंसक और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है।

वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस विश्व में सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिनमें 16.21 करोड़ श्रीमद भगवद गीता पुस्तकें शामिल हैं। इस संस्था ने राजस्व सृजन के लिए कभी भी अपने प्रकाशनों के लिए विज्ञापन नहीं लिये। गीता प्रेस अपने संबद्ध संगठनों के साथ जीवन के उत्तरोत्तर विकास और सर्वजन-कल्याण के लिए प्रयासरत है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने में गीता प्रेस के योगदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस को अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने पर गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना संस्थान द्वारा सामुदायिक सेवा में किए गए कार्यों की सराहना करना है।

गांधी शांति पुरस्कार 2021, मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान देने के लिए गीता प्रेस के महत्वपूर्ण और अद्वितीय योगदान को मान्यता देता है, जो सच्चे अर्थों में गांधीवादी जीवन शैली का प्रतीक है।

'युवा पेशेवरों के लिए दक्षता' अब आईजीओटी कर्मयोगी मंच पर उपलब्ध है

शिमला। युवा पेशेवरों के लिए एक नया संचित संग्रह दक्षता (प्रशासन में समग्र परिवर्तन के लिए दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल का विकास) अब आईजीओटी कर्मयोगी मंच पर उपलब्ध है। सरकार में कार्यरत युवा पेशेवरों और सलाहकारों के लिए डिजाइन किया गया यह संग्रह (इसमें 18 पाठ्यक्रम शामिल हैं) शिक्षार्थियों को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध कराते हुये उनमें कार्यात्मक, क्षेत्र और व्यावहारिक क्षमताओं का निर्माण करना चाहता है।

वर्तमान में, नीति आयोग में 40 युवा पेशेवर और सलाहकार आईजीओटी कर्मयोगी मंच पर पाठ्यक्रमों के इस संचित संग्रह के माध्यम से चरणबद्ध रूप से प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस मंच पर उपलब्ध 18 पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं-

सरकार के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेना (वाधवानी फाउंडेशन), सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता (आईएसटीएम), मिशन लाइफ के बारे में ओरिएंटेशन मॉड्यूल (एमओईएफसीसी), कार्यालय प्रक्रिया (आईएसटीएम), कार्यस्थल पर योग प्रशिक्षण (एमडीएनआईवाई), प्रभावी संचार (आईआईएम-बी), बेसिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च (आईआईपीए), एडवांस्ड पॉवरपॉइंट (माइक्रोसॉफ्ट), तनाव प्रबंधन (डीओपीटी), कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (आईएसटीएम), नोटिंग और ड्राफ्टिंग (आईएसटीएम), उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत (वाधवानी फाउंडेशन), सार्वजनिक नीतियों का निर्माण (आईएसटीएम), व्यक्तिगत और संगठनात्मक मूल्य (डीओपीटी), भारत सरकार की सुधार पहल (आईएसटीएम), भारत सरकार के लिए सार्वजनिक खरीद ढांचा (व्यय विभाग), प्रस्तुति संबंधी कौशल बढ़ाने के तरीके (जीएसआई) और उन्नत एक्सेल (माइक्रोसॉफ्ट)।

पाठ्यक्रमों का संचित संग्रह, विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी विभागों और संगठनों में कार्यरत युवा पेशवरों और सलाहकारों के ज्ञान, कौशल और योग्यता वृद्धि के कार्य में उपयोग के लिए आईजीओटी कर्मयोगी मंच पर उपलब्ध हैं।

आईजीओटी कर्मयोगी मंच (https://igotkarmayogi.gov.in/) सरकारी पदाधिकारियों को उनकी क्षमता निर्माण यात्रा में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल है। यह पोर्टल ऑनलाइन शिक्षण, योग्यता प्रबंधन, करियर प्रबंधन, विचार-विमर्श, आयोजन और नेटवर्किंग के लिए 6 कार्यरत केंद्रों को जोड़ता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक विकसित भारत के निर्माण के विजन के अनुरूप मिशन कर्मयोगी (सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम), एक स्मार्ट, नागरिक- अनुकूल और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप सार्वजनिक कार्यबल को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इस मिशन के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए कर्मयोगी भारत, सरकार के स्वामित्व वाला गैर-लाभकारी एसपीवी है, जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है और इसे आईजीओटी (इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग), कर्मयोगी मंच के स्वामित्व, प्रबंधन, रख-रखाव और सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

एन.एच. पर अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फोर लेन प्लानिंग एरिया गठित करने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन पोस्ट कोड की परीक्षाएं पूर्व के हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा आयोजित नहीं की गयी थी, उन्हें अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा हवाई अड्डे

के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के बाद, रनवे की लंबाई 3010 मीटर तक बढ़ाई जाएगी जो ए-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त होगी। यह कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना के कार्यान्वयन के लिए दूरगामी भूमिका निभाएगा।

बैठक में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023 के दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी गयी। इस योजना के तहत पात्र गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम, फार्मेसी, नर्सिंग, आईटीआई और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से पीएचडी करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज की दर से 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

बैठक में एसएमसी और कम्प्यूटर शिक्षकों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। इस मंत्रिमण्डलीय उप-समिति में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे।

मंत्रिमण्डल ने परवाणू-शिमला हाईवे एनएच-5, शिमला-मटौर एनएच, पठानकोट-मंडी एनएच और कीरतपुर-मनाली हाईवे एनएच-3 पर अनियोजित, अनियमित और बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फोर लेन प्लानिंग एरिया गठित करने का निर्णय लिया। फोर लेन के दोनों ओर नियंत्रित चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर तक का क्षेत्र इस फोरलेन प्लानिंग एरिया के दायरे में होगा। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अन्य सभी फोरलेन वाले राजमार्गों को भी इस विनियमन के दायरे में लाया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिला के टौणी देवी में राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला कांगड़ा में पुलिस चौकी बीड़ को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के दस पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गयी।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण को मण्डी जिला के जोगिन्द्रनगर तथा कांगड़ा जिला के धर्मशाला में कार्यशालाएं निर्मित करने के लिए पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि 40 वर्षों के लिए पट्टे पर प्रदान करने का निर्णय लिया।

बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग रखने का भी निर्णय लिया गया।.

राज्यपाल ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चंबा जिला के सलूणी उपमण्डल की ग्राम पंचायत भंडल में एक युवक की हत्या पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार एवं प्रशासन द्वारा कड़ी से कड़ी कारवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

एक वक्तव्य में राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है और इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। उन्होंने लोगों से कानून-व्यवस्था अपने हाथों में न लेने का भी आग्रह किया। उन्होंने लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने की अपील की है। राज्यपाल ने घटना में मृतक के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं।

प्रदेश सरकार ने छः माह में 110 से अधिक मामलों में की संस्तुति प्रदान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों की प्रक्रिया तीव्र की गयी है, ताकि विकास कार्यों का निर्माण आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त शीघ्र शुरू किया जा सके। कार्यों के समयबद्ध पूर्ण होने से राजस्व में बचत के साथ ही प्रदेश की जनता को इनका समुचित लाभ सुनिश्चित होता है।

वर्तमान प्रदेश सरकार ने वन स्वीकृतियों में अनावश्यक विलम्ब के कारण विकास कार्यों में हो रही देरी को गम्भीरता से लेते हुए इनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिनकी नियमित आधार पर बैठकें हो रही हैं। इससे लम्बित एवं नए मामलों के अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी आयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एफसीए से संबंधित विभिन्न मुद्दे केन्द्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाए गए हैं। त्वरित रूप से कार्य करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इस जून माह के दौरान वन भूमि प्रत्यावर्तन के 29 मामलों में केन्द्र सरकार से द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त की गयी है और औपचारिक आदेश जारी करते हुए विभिन्न प्रयोक्ता अभिकरणों के पक्ष में वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इनमें सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग के 11 मामले, पुलिस विभाग के 4, जल शक्ति, एनएचएआई, शिक्षा तथा कृषि विभाग के 2-2 मामले और आईटीबीपी, नगर निगम शिमला, सैनिक कल्याण, गृह रक्षक, स्वास्थ्य, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का 1-1 मामला शामिल है। उन्होंने कहा कि गत छः माह के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा कुल 46 मामलों में औपचारिक आदेश जारी किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार द्वारा गत एक माह के दौरान एफसीए के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के 32 नए प्रस्तावों की संस्तुति प्रदान कर इन्हें केन्द्र सरकार के प्रथम चरण के पूर्व अनुमोदन अर्थात सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इनमें सड़क निर्माण के 19 मामले, विद्युत, फोरलेन निर्माण, शिक्षा व अन्य परियोजनाओं के 2-2 मामले और जल आपूर्ति, सुरक्षात्मक परियोजना, पर्यटन, सौर ऊर्जा परियोजना, रोपवे इत्यादि के निर्माण के लिए प्रस्ताव शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि गत छः माह के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा 110 से अधिक मामलों में संस्तुति प्रदान करते हुए इन्हें केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 68 प्रतिशत क्षेत्र वैधानिक रूप से वर्गीकृत वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जिस पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होते हैं। सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिकांश विकास कार्यों के निर्माण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसीए) की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है। वर्तमान में यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है तथा इन प्रस्तावों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिवेश पोटर्ल के माध्यम से प्रोसेस किया जा रहा है। इस विषय के महत्व के दृष्टिगत मुख्यमंत्री स्वयं तथा प्रधान सचिव (वन) भी एफसीए के मामलों का समय-समय पर अनुश्रवण कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार विकास एवं पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए पौधरोपण पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 473 इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य:उद्योग मंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के निदेशक मंडल की शिमला में आयोजित 239वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला और मंडी जिलों के लिए खादी प्लाजा के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को सौंपने और विशेषज्ञ एजेंसी से परामर्श लेने के निर्देश दिए ताकि ये प्लाजा आय सृजन का स्रोत बन सकें और इनके माध्यम से ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों को विपणन सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

उन्होंने कहा कि खादी बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ पालकों को ऊन पिंजाई तथा जनजातीय क्षेत्र के बागवानों को खुमानी के बीजों से बनने वाले चुल्ली के तेल की पीड़ाई की सुविधा खादी केन्द्रों के माध्यम से घर-द्वार पर ही प्रदान की जा रही है ताकि इस क्षेत्र से जुड़े कारीगर/बुनकर व बागवान लाभान्वित हो सकें।

उद्योग मंत्री ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने पर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की सराहना की। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा प्रदेश में 383 इकाइयों को 14.34 करोड़ रुपये का उपदान दिया गया, जो निधारित लक्ष्य का लगभग 118 प्रतिशत है। इन इकाइयों की परियोजना लागत 57.36 करोड़ रुपये है, जो 48.72 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में लगभग 118 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, इन इकाइयों में रोजगार के 3,064 अवसर भी सृजित हुए हैं।

उद्योग मंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को भी समय पर हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए लक्षित 475 इकाइयों में से मई माह तक स्थापित 16 इकाइयों पर 73.96 लाख रुपये का उपदान दिया जा चुका है, जिनसे रोजगार के 128 अवसर सृजित हुए हैं।

बैठक में विशेष सचिव उद्योग, किरण भड़ाना, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अजित कुमार भारद्वाज, अतिरिक्त सचिव वित्त, विनय कुमार, उप-निदेशक उद्योग विभाग, अनिल ठाकुर, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के राज्य नोडल अधिकारी, संजीव जस्टा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने सूखे पेड़ों के चिन्हांकन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया शीघ्र तैयार करने पर बल दिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू नेवन विभाग एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने के दृष्टिगत वन भूमि से सूखे पेड़ों का समयबद्ध कटान आवश्यक है क्योंकि कुछ समय के उपरान्त यह नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने अधिकारियों को पेड़ों के प्रभावी चिन्हांकन, निष्कर्षण और निपटारा सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने इमारती लकड़ी की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक वेबसाइट विकसित करने पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में, राज्य में वन भूमि पर लगभग 86,874

सूखे एवं क्षतिग्रस्त पेड़ हैं, जिनसे लगभग 64,000 क्यूबिक मीटर इमारती लकड़ी का उत्पादन होने की उम्मीद है। उन्होंने वन भूमि पर इन पेड़ों के समय पर निष्कर्षण और निपटारे की सुविधा के लिए मासिक आधार पर चिन्हांकन सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में व्यवस्थित प्रयासों से इमारती लकड़ी को प्रदेश के राजस्व का एक मूल्यवान स्रोत बनाने की दिशा में यह कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि समय पर सूखे पेड़ों की निकासी नहीं होने से प्रदेश को राजस्व की हानि होती है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूखे पेड़ों की समय पर निकासी के लिए वन विभाग और हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को आपसी सामंजस्य स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग को राज्य के निचले हिस्सों के कुछ वन क्षेत्रों में पायलट आधार पर शीघ्र निपटारे के लिए पेड़ों को चिहि्नत करने, गिराने और 50 पेड़ों की सीमा के साथ लॉग में परिवर्तित करने का अधिकार देने का सुझाव भी दिया।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम में कर्मचारियों के युक्तिकरण की आवश्यकता पर भी बल देते हुए आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उचित उपायों को लागू करके कर्मचारियों की कमी के मुद्दे का समाधान करेगी।

प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार) गोकुल बुटेल, विधायक देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, आशीष शर्मा, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, प्रधान सचिव वन ओंकार चंद शर्मा, प्रधान मुख्य अरण्यपाल राजीव कुमार, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक पवनेश कुमार, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल नागेश गुलेरिया और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

छः माह में नाबार्ड से 336 करोड़ रुपए की 62 सड़कें स्वीकृतः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने विभाग को विशेष रूप से स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत नई सड़क परियोजनाओं में सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए। इससे यात्रियों के समय और धन की बचत भी होगी। उन्होंने राज्य में रोपवे के निर्माण पर भी बल दिया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के लिए 422 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 45 सड़कों की डीपीआर स्वीकृत की जा चुकी है। इनमें से 44 सड़कों के टेंडर पहले ही दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 2662 करोड़ रुपये की लागत की 256 और सड़कों की डीपीआर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी गयी है। उन्होंने कहा कि इनमें से 644 किलोमीटर सड़कें एफडीआर तकनीक से निर्मित की जाएंगी और 499 किलोमीटर सड़कें सीमेंट सब-बेस तकनीक से निर्मित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 14 पुलों का निर्माण भी केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अधोसंरचना विकास में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के तहत लंबित 173 सड़क परियोजनाओं और दूसरे चरण में 17 सड़क परियोजनाओं को इसी वर्ष पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क रखरखाव योजना के लिए इस वर्ष 40 करोड़ रुपये का

बजट प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सड़क अधोसंरचना कोष के तहत 248 करोड़ रुपये लागत की चार सड़कों की डीपीआर केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी हैं, जबकि पांच अतिरिक्त सड़कों की डीपीआर का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार के गठन के उपरांत अब तक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के तहत 336 करोड़ रुपये की लागत की 62 सड़कों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिमला शहर के सर्कुलर रोड पर भीड़भाड़ कम करने के लिए 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जिससे स्थानीय जनता और पर्यटकों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी।

बैठक के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सभी विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया और पिछले लगभग छह महीनों के दौरान विभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सलाहकार (बुनियादी ढांचा) अनिल कपिल, योजना सलाहकार डॉ. बसु सूद सहित लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी यहां बैठक में उपस्थित थे तथा उपायुक्त एवं लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े थे।

प्रदेश में डिजिटल युग के नए अध्याय का सूत्रपात करेगी मुख्यमंत्री परिषद्

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में डिजिटल गवर्नेंस के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री परिषद का गठन किया है। प्रदेश में डिजिटल परिवर्तन के लिए गठित यह पहली परिषद् रणनीतिक मार्गदर्शन व डिजिटल नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक नवीन पहल है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे आईटी, उद्योग, डाटा प्रबंधन, दूरसंचार, वित्त, आईएसबी, आईआईटी आदि के विशेषज्ञ शामिल हैं। वैज्ञानिक, तार्किक और प्रौद्योगिक आधारित सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित यह परिषद् हर तीन माह में कम से कम एक बार या आवश्यकतानुसार बैठक करेगी। राज्य सरकार ने हिमाचल को देश का सूचना प्रौद्योगिकी हब बनाने की दिशा में यह निर्णय लिया है। सरकार राज्य में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के अलावा ई-ऑफिस और हिम परिवार को भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेगी।

उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस के लिए मुख्यमंत्री परिषद् की रणनीति राज्य को डिजिटल रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन के लिए दृष्टिकोण, मिशन, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को रेखांकित करती है। यह ओपन डेटा मानकों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, ई-गवर्नेंस, उभरती हुई तकनीक, डिजिटल साक्षरता जैसे क्षेत्रों से संबंधित डिजिटल गवर्नेंस के लिए नीतियों और दिशानिर्देशों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

परिषद् डिजिटल गवर्नेंस के मुद्दों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा भी देगी और डिजिटल कौशल, डिजिटल साक्षरता और डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों के उपयोग जैसे क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने की दिशा में कार्य करेगी।

यह परिषद् अनुसंधान और विकास तथा अनुकूल व्यावसायिक वातावरण के निर्माण और एक जीवंत स्टार्ट-अप संस्कृति विकसित करने और राज्य में आईटी और संबंधित निवेश को बढ़ावा देने के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषद् में सदस्य दक्षता, प्रभावशीलता में सुधार और नागरिक जुड़ाव में सुधार के लिए सरकारी सेवाओं, संचालन और प्रक्रियाओं के डिजिटल परिवर्तन की देखरेख करेंगे।

इसके अलावा, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने और राजस्व सृजन में इसकी भूमिका की पहचान करने और सुझाव देने के अलावा, परिषद सरकार को डिजिटल प्रौद्योगिकियों और दूरसंचार नीति से संबंधित मुद्दों जैसे बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, नवाचार, विनियमन पर सिफारिशें भी प्रदान करेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री परिषद् डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों, उद्योग संघों, शैक्षणिक संस्थानों आदि जैसे बाहरी हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करेगी।

परिषद् में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, मुख्य सचिव और सचिव (आईटी) के अलावा विभिन्न पेशेवर और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

फसलों के कीटों के जैविक नियंत्रण पर दिया प्रशिक्षण

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन के कीट विज्ञान विभाग ने कृषि विज्ञान केंद्र, किन्नौर के सहयोग से फसलों के कीटों

के जैविक नियंत्रण पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। यह प्रशिक्षण शिविर फसल कीट के जैव नियंत्रण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की जनजातीय उपयोजना के तहत आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में पूह, कल्पा और निचार खंड के 50 किसानों ने भाग लिया।

डॉ. सुभाष कुमार वर्मा, परियोजना के प्रधान अन्वेषक ने सेब और क्षेत्र की अन्य फसलों के कीटों के प्रबंधन के लिए जैव नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। किसानों को फसलों के कीटों के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के महत्व और सिंथेटिक कीटनाशकों के गैर-विवेकपूर्ण उपयोग के हानिकारक प्रभावों से अवगत कराया गया। किसानों को सिंथेटिक रसायनों के स्थान पर किसानों को उपलब्ध प्राकृतिक शत्रुओं और माइक्रोबियल जैव कीटनाशकों जैसे विभिन्न जैव नियंत्रण विकल्पों से भी अवगत कराया गया। परियोजना के सह-प्रमुख अन्वेषक डॉ. वी.जी.एस. चंदेल ने कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए इन बायो एजेंट्स और बायो पेस्टीसाइड के गुणन और उपयोग की प्रक्रिया के बारे में बताया। डॉ. अरुण नेगी ने क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र शारबो और केवीके किन्नौर के पास उपलब्ध विभिन्न फलों के पौधों की किस्मों के बारे में बताया, जबकि डॉ.निधिश गौतम ने फलों के पौधों के साथ सब्जियों की फसलों की इंटरक्रॉपिंग पर जोर दिया।

नौणी विवि की किसान मार्गदर्शिका के अलावा नीम से बने उत्पाद, ट्राइकोडर्मा फॉर्मूलेशन, जीवामृत, घनजीवामृत और अग्निअस्त्र जैसे पर्यावरण के अनुकूल आदानों भी किसानों को बांटे गए। किसानों के प्रश्नों को संबोधित करने के साथ-साथ कीट प्रबंधन में पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण के विभिन्न पहलुओं पर किसानों और वैज्ञानिकों के बीच एक इंटरैक्टिव सत्र के साथ प्रशिक्षण का समापन हुआ।

प्रदेश की आर्थिक समृद्धि की राह प्रशस्त करेंगी सुरंगें

शिमला/शैल। सुरंगें पहाड़ी क्षेत्रों में आरामदायक व सुखमय यात्रा का आधार हैं। इनसे यात्रा में समय की बचत भी होती है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए नई सड़क परियोजनाओं के तहत सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इससे जहां यात्रियों के कीमती समय व धन की बचत होगी वहीं वर्षभर सड़क सुविधा भी उपलब्ध होगी।

हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए सड़कें भाग्य रेखाएं हैं जिनपर सभी आर्थिक गतिविधियां निर्भर है। आधुनिक परिवहन विकास के लिए हरित तथा सतत् विकास की अवधारणा को मूर्तरूप देते हुए पर्यावरण तथा संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया जाना महत्वपूर्ण है। राज्य में हरित उच्च मार्ग, पारिस्थितिकीय तंत्र सभ्यता तथा हरित परिवहन विकास का मिश्रित रूप है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार संसाधन एवं पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा क्षमता तथा सेवा सुधार पर बल देते हुए राज्य में यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षित तथा बेहतर सड़कें बनाने के प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश में डिजाइन, निर्माण, संचालन, रखरखाव जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण के सतत् विकास के लिए सड़कें, पुल तथा सुरंगें निर्मित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला शिमला के ऊंचे क्षेत्रों को वर्ष भर सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार सुरंगें बनाने पर विचार कर रही है। कोटखाई-हाटकोटी सड़क पर खड़ापत्थर के नीचे तथा जिला के डोडरा-क्वार क्षेत्र में सड़क सुविधा प्रदान करवाने के लिए सुरंगों के निर्माण के उद्देश्य से सर्वेक्षण करवाया जाएगा।

खड़ापत्थर के नीचे राष्ट्रीय उच्च मार्ग 705 में प्रस्तावित इस सुरंग के निर्माण के उपरान्त शिमला से रोहड़ू का सफर तय करने में लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी कम होगी। इस सुरंग के बनने से जहां ऊंचे क्षेत्रों को वर्षभर सड़क सुविधा भी उपलब्ध होगी वहीं किसानों को अपनी फसल मण्डियों तक ले जाने की सुविधा भी मिलेगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह सुरंग चांशल, कुपड़, गिरी गंगा, मोराल डंडा, समरकोट, खदराला, सुंगड़ी, चुंजर तथा हाटकोटी जैसे अनछुए क्षेत्रों के लिए पर्यटन के नए द्वार खोलेगी। शीत ऋतु में इन क्षेत्रों में प्राकृतिक सौन्दर्य देखते ही बनता है।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार डोडरा-क्वार के लिए बनने वाली सुरंग इस दुर्गम क्षेत्र को न केवल सड़क सुविधा प्रदान करेगी बल्कि पर्यटकों तथा एकान्त प्रेमियों के लिए इस क्षेत्र को सुगम बनाएगी।

यह सुरंग न केवल वृहद तौर पर पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि बागवानों को अपनी पसंदीदा मण्डी तक फसल पहुंचाने के लिए भी सुविधा प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने नर्सिज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के पोर्टल का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश नर्सिज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारम्भ किया। नई लॉंच की गई वेबसाइट का उद्देश्य नर्सों को सुविधाजनक तरीके से विभिन्न सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। इसके अंतर्गत प्राथमिक पंजीकरण, पंजीकरण का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना, अतिरिक्त योग्यता अद्यतन, विदेशी सत्यापन इत्यादि की सुविधाएं उन्हें घर-द्वार पर उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त, यह पोर्टल पंजीकरण के ऑनलाइन स्थानान्तरण और हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के अलावा विदेशों में भी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल के अंतर्गत इस वेबसाइट को रोजगार विभाग की वेबसाइट के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे भर्ती एजेंसियों को प्रासंगिक डाटा तक पहुंच बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस एकीकरण से रोजगार सृजन को बढ़ावा

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

क्या प्रदेश भाजपा जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है

- वित्तीय संकट पर चुप्पी से उठे सवाल
- क्योंकि इस संकट के लिये पूर्व सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है
- क्या केन्द्र ने जानबूझकर कर्ज सीमा में कटौती करके संकट को बढ़ाया है
- भाजपा पर उठते इन सवालों का जवाब कौन देगा

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा लगातार पिछले तीन चुनाव हार चुकी है। जिसमें पहले चार उपचुनाव, फिर विधानसभा चुनाव और अन्त में नगर निगम शिमला शामिल है। लेकिन इस हार के कारणों पर आज तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया पार्टी की ओर से नहीं आयी है। जबकि राजनीतिक हल्कों में यह सवाल बराबर उठता रहा कि पार्टी को जो सफलता मण्डी में मिली है उसी अनुपात में प्रदेश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं मिल पायी? क्या मण्डी के बाहर दूसरे जिलों में नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में यह धारणा बन चुकी थी कि हार निश्चित है इसलिये ज्यादा सक्रियता से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कोई औपचारिक प्रतिक्रिया न आने से चुनाव से पहले मंत्रिमण्डल में फेरबदल कुछ मंत्रियों की छुट्टी और कुछ के विभागों में परिवर्तन किये जाने को लेकर उठते सवाल भी अभी हाशिये पर चले गये हैं हो सकता है कि कुछ समय बाद यह सवाल फिर जवाब मांगे। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी हिमाचल के बाद जिस तरह कर्नाटक हारी है उससे ''मोदी है तो मुमकिन है'' पर पहली बार प्रश्न चिन्ह लगा है। यह प्रश्न चिन्ह लगने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार अपने गृह राज्य हिमाचल आये। हिमाचल आकर नड्डा ने जिस तरह जनता और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के उपक्रम में प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में रैली का आयोजन करवाया और उसमें जिस तरह सारे प्रयासों के बावजूद सबसे कम भीड़ जुटी उससे यह प्रमाणित हो गया है कि भाजपा के प्रति लोगों की उदासीनता अभी भी बरकरार है। विधानसभा चुनाव के बाद जब पूर्व मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर प्रोटैम स्पीकर के हाथों ही विधायकों की शपथ से पहले ही नेता प्रतिपक्ष बन गये और उस समय भी भाजपा के ही कुछ हलकों में इस पर हैरत जताई गयी थी। क्योंकि कुछ दूसरे नेता भी नेता प्रतिपक्ष होने की इच्छा पाले हुये थे लेकिन उन्हें अपनी इच्छा जताने तक का मौका भी नहीं मिल पाया। इसी परिदृश्य में जब सरकार ने पूर्व सरकार के अन्तिम छः माह के फैसले बदलते हुये करीब 900 संस्थान बन्द कर दिये तब भाजपा ने इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शनों का क्रम शुरू कर दिया। अन्त में इस संबंध में एक याचिका भी प्रदेश उच्च न्यायालय में डाल दी। लेकिन याचिका डालने के बाद इस मुद्दे पर शान्त होकर बैठ गयी। इसी तरह मुख्य संसदीय सचिवों को लेकर भी उच्च न्यायालय में याचिका तो डाल दी गयी है लेकिन प्रदेश की जनता को इस पर जानकारी नही दी गयी कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां गलत क्यों है। उस पर शान्त होकर बैठ जाना भी पार्टी के भीतर की एकजुटता पर सवाल खड़े करता है। इस समय प्रदेश वित्तीय संकट से गुजर रहा है। इस संकट के लिये सुक्खू सरकार पूर्व की जयराम की सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसी के साथ केन्द्र सरकार पर प्रदेश की कर्ज लेने की सीमा कटौती राज्य सरकार को वित्तीय संकट में डालने का आरोप लगाया जा रहा है। वित्तीय संकट के लिये भाजपा पर लगते यह आरोप गंभीर हैं। क्योंकि प्रदेश की आम जनता को इससे नुकसान हो रहा है। लेकिन इन आरोपों का कोई तथ्य पूरक जवाब भाजपा की ओर से अभी तक नहीं आ पाया है। बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के यह कहने से कि केन्द्र के सहयोग के बिना राज्य सरकार एक कदम नहीं चल सकती इन आरोपों की अपरोक्ष में पुष्टि हो जाती है। वित्तीय संकट का प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ रहा है इसलिये बतौर जिम्मेदार विपक्ष यह भाजपा का नैतिक दायित्व बन जाता है कि वह इस पर स्थिति स्पष्ट करे। यह सही है कि राजनीतिक प्रतिद्वन्दी होने के नाते भाजपा को अपना राजनीतिक हित भी सुरक्षित रखना है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यदि भाजपा अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तो उस पर जिम्मेदार विपक्ष न होने का आरोप लगना तय है।

मालाणा– III और धांचो परियोजनाओं की आर्बिट्रेशन भी हारी सरकार

8,41,04,572 रुपए 15% ब्याज सहित अदा करने के हुये आदेश
कंपनी के 21 जनवरी 2019 के आग्रह पर कोई कारवाई क्यों नही हुई?
आर्बिट्रेशन की पेशी में हाजिर न होने से एकतरफा हुआ फैसला।

शिमला/शैल। वित्तीय संकट से जूझती प्रदेश सरकार विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं में चली आर्बिट्रेशन लिटिगेशन प्रोसिडिंग में अब तक कई करोड़ों का नुकसान उठा चुकी है। प्रदेश का बिजली बोर्ड इस समय करीब दो हजार करोड़ के घाटे में चल रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार इस सबको नजरअन्दाज करते हुये वित्तीय खुशहाली के लिये जल विद्युत परियोजनाओं पर भरोसा जता रही है उससे सरकार की नीयत और नीति दोनों को लेकर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि जब भी कोई जल विद्युत परियोजना विज्ञापित होती है तब उसके लिये निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा भेजने के लिये तय अपफ्रन्ट प्रीमियम साथ भेजना होता है। जिस भी कंपनी की निविदाये शर्तों और मानकों पर पूरी उतरती है उसे परियोजना आवंटित कर दी जाती है। इस तरह परियोजना आवटित होने के बाद संबंधित निष्पादन कंपनी को भी यह हक हासिल रहता है कि वह आवंटित परियोजना का अपने तौर पर भी आकलन और मूल्यांकन करवा कर उसकी व्यवहारिकता के बारे में संतुष्ट हो जाये। क्योंकि उसने परियोजना के लिये करोड़ों का निवेश और उसका प्रबन्ध करना होता है। यदि इस आकलन और मूल्यांकन के बाद आवंटी को यह लगे कि परियोजना व्यवहारिक न होकर घाटे का सौदा है तो उस स्थिति में वह विद्युत बोर्ड/निविदा जारी करने वाले को भी लिखित में आग्रह कर सकता है कि उसका आवंटन रद्द कर दिया जाये। ऐसा आग्रह आने पर निविदा जारी करने वाले को भी यह हक हासिल है कि वह आवंटी को परियोजना के बारे में पूरी तरह तर्क पूर्ण तरीके से संतुष्ट करवाये और उसके बाद दोनों पक्ष आपसी सहमति से अगला फैसला लें। लेकिन निविदा जारीकर्ता को यह हक हासिल नही है कि वह आये हुए आग्रह का महीनों तक कोई संज्ञान ही न ले। जब संबद्ध अधिकारी महीनों तक ऐसे आग्रह का संज्ञान न लें तो ऐसी स्थिति आवंटी को आर्बिट्रेशन में जाने के लिये बाध्य कर देती है। बल्कि कई बार तो अधिकारी आर्बिट्रेशन प्रोसिडिंग का भी संज्ञान नहीं लेते हैं और ऐसी स्थिति ही आर्बिट्रेशन में हार का कारण बनती हैं। 30 मैगावाट का मलाणा-III और 12 मैगावाट की धांचों परियोजनाओं में ऐसा ही हुआ है और बोर्ड के खिलाफ 8,41,04,572 रुपए का अवार्ड 15% ब्याज सहित अदायगी का आदेश हो गया है।

स्मरणीय है कि यह परियोजनाएं 4-5-2011 को उत्तर प्रदेश के गौतमबद्ध नगर स्थित एक बीएमडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आवंटित हुई और 26-05-2011 को कंपनी ने 8.40 करोड़ का अपफ्रन्ट जमा करवा दिया। इसके बाद कंपनी ने विभिन्न सरकारी अदारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करके परियोजना की डी.पी.आर. सौंपी और उसका तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा करवाया। इस आकलन में यह रिपोर्ट आयी की परियोजना की लागत 12 करोड़ प्रति मैगावाट आयेगी। लेकिन कंपनी को हस्ताक्षरित पी.आई.ए. के अनुसार केवल 2.50 से तीन रूपये प्रति यूनिट मिलने थे। इस आकलन पर जब बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों ने कंपनी को वित्तीय सहयोग देने से मना कर दिया तो 21 जनवरी 2019 को कंपनी ने यह आवंटन रद्द करने का आग्रह कर दिया। इसका कोई जवाब देने की बजाये सरकार ने 3 अक्तूबर 2019 को यह आवंटन रद्द कर दिया और अपफ्रन्ट राशि जब्त कर ली। इस पर कंपनी आर्बिट्रेशन में चली गयी। आर्बिट्रेशन की पेशी 20 जनवरी 2020 को तय हुई। लेकिन सरकार आर्बिट्रेशन की कारवाई में ही शामिल नही हुई और इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में चली गयी। उच्च न्यायालय ने 2 जून 2022 को सरकार की याचिका खारिज कर दी। इस तरह सरकार के खिलाफ 8,41,04,572 रुपए 15% ब्याज सहित अदा करने के आदेश आ गये हैं।

इस मामले को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि संबद्ध अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना आचरण से यह नुकसान हुआ है। इस पर भी बड़ा आश्चर्य तो यह है कि सरकार में किसी ने भी इसका संज्ञान नही लिया और न ही किसी की कोई जिम्मेदारी तय हुई है। आर्बिट्रेशन के मामलों में एक अरब से अधिक का नुकसान हो चुका है जिसके लिये कोई जिम्मेदार नही ठहराया गया है। क्या यह अपने में एक बड़ा नियोजित भ्रष्टाचार नहीं है।